स्पीड पोस्ट

F. No. I-14011/04/2026 -IPS-I (E)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस-1 प्रभाग

कमरा संख्या 34020, कर्तव्य भवन-03,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक 30 जनवरी, 2026

सेवा में,

i. मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना
(ध्यानाकर्षण: श्री रत्नेश कुमार, अवर सचिव)

ii. सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
[ध्यानाकर्षण: श्री संजय कुमार, अवर सचिव (एआईएस)]

विषय: भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की चयन सूची - 2025 के लिए पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए रिक्तियों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषय पर बिहार सरकार के पत्र संख्या 1/सी 01-01/2025 गृह0आ0 1117 दिनांक 27.01.2026 का संदर्भ देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें चयन सूची 2025 के लिए 20 रिक्तियों के निर्धारण की बात कही गई है। पिछली चयन सूची वर्ष 2024 के लिए तैयार और अंतिम रूप दी गयी थी, जिसमे दिनांक 19.11.2025 के अधिसूचना के द्वारा वर्ष 2024 के लिए 05 रिक्तियों के समक्ष 01 नियुक्ति की गई थीं।

2. बिहार संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा में अधिकृत पदोन्नति कोटा 01.01.2026 को 81 था जिसके विरुद्ध निर्धारित तिथि को 61 पदाधिकारी सेवा में हैं और 20 पद रिक्त हैं। इन 20 पदों में से कि वर्ष 2025 के दौरान 08 पदोन्नति भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण 08 रिक्तियां हुई हैं, चयन सूची वर्ष 2024 में अनंतिम रूप से शामिल 04 अधिकारियों का भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति नहीं होने के कारण उत्पन्न चयन सूची वर्ष 2024 की 04 रिक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम 7(4) में निहित प्रावधान के अनुसार वर्ष 2025 के रिक्ति के लिए अग्रेषित किया जा सकता है और कार्मिक मंत्रालय द्वारा 21.05.2025 को अधिसूचित बिहार कैडर के आईपीएस की कैडर समीक्षा के परिणामस्वरूप 08 रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए, चयन सूची 2025 के लिए बिहार संवर्ग के पदोन्नति कोटा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 20 है।

....2.....

3. अतः भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4(2)(बी) के साथ भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, बिहार राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन सूची 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या **20 (04 अग्रेषित + 08 सेवानिवृत्ति + 08 संवर्ग समीक्षा से उत्पन्न)** निर्धारित की जाती हैं।

4. राज्य सरकार और आयोग से भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नति विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,

(चंदन कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष: 24010121

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को उपर्युक्त अधिसूचना को शीर्षक **चयन सूची 2025-बिहार** के तहत वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु (under link https://www.ips.gov.in/vac_bihar.aspx).